भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
रक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 924
08 दिसम्बर, 2023 को उत्तर के लिए

सैनिक स्कूलों के शिक्षकों हेतु पेंशन योजना

924. श्री एस. मुनिस्वामी:

क्या. रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को 33 सैनिक स्कूलों के पुराने शिक्षकों के समक्ष आ रही पेंशन योजना की कमियों और इन स्कूलों में विद्यमान वर्तमान प्रणाली की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का इन विद्यालयों के पात्र सेवानिवृत्त शिक्षकों की सहायता करने के लिए इन विसंगतियों की जांच करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)

(क) से (घ): सैनिक स्कूल सोसाइटी और राज्य सरकारों के बीच जिम्मेदारियों को साझा करने संबंध में योजना के अनुसार पेंशन/सेवांत हितलाभों के लिए व्यय वहन करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की होती है। तथापि, 5वें से 7वें सीपीसी की सिफारिशों के बीच अंतर के कारण पेंशन के लिए अतिरिक्त व्यय नियमित आधार पर सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा वहन किया जाता है।

संबंधित राज्य सरकार द्वारा निधियों को जारी करने में देरी के कारण सैनिक स्कूल सोसाइटी से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के पेंशन/सेवांत हितलाभों के भुगतान में देरी से संबंधित कुछ घटनाएं सामने आई हैं । निधियों को समय पर जारी करना सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की उपर्युक्त उल्लिखित जिम्मेदारी को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करते हुए रक्षा मंत्रालय ने राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया शुरू की है। इस संबंध में, 33 में से 24 सैनिक स्कूलों के संबंध में समझौता ज्ञापन पर पहले ही हस्ताक्षर हो चुके हैं। इसके साथ ही, आकस्मिकता की स्थिति में सैनिक स्कूल राज्य सरकार से निधियों की प्रतिपूर्ति के अध्याधीन पेंशन के भुगतान के लिए सैनिक स्कूल सोसाइटी के पूर्व अनुमोदन से आरक्षित निधियों का उपयोग कर सकते हैं।

******